

| | | |
|-------------|--|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद पत्र संख्या 221 / 2022 GCMS NO. 2022/624 उनवानी शीशराम बनाम सांवलराम आदि अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|--|

06.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादी हाजिर आये। अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादी को प्रतिवादीगण की तलबी करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तलबी नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादी को प्रतिवादीगण की तलबी कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादी का वाद तलबी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(Handwritten signature)

(सविता शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

जिला नैमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

